Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to regularise the residential plots allotted between 1983 to 1986 in Delhi forest areas.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, आपने मुझे गरीबों के हित में एक साहसिक मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, दिल्ली के अंदर सन् 1983 से ले कर 1986 के बीच उस समय की दिल्ली की सरकार ने गरीब भूमिहीन लोगों को रिहायशी प्लॉट्स दिए थे। गरीब लोग अपने खून-पसीने की कमाई से मकान बना कर वहां रह रहे हैं। लेकिन 90 के दशक में एक फॉरेस्ट एक्ट आया, अधिकारियों ने मौके पर जाए बगैर उन जमीनों को, जो प्लाट्स उनको दिए गए थे या कुछ भूमिहीन गरीब लोगों ने ग्राम पंचायत की जमीन पर जो अपने मकान बना लिए थे, अब फॉरेस्ट के अधिकारी उन लोगों के मकानों को गिरा रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधान मंत्री सभी गरीब और भूमिहीनों लोगों के लिए पक्के मकान बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार बिलकुल संज्ञान नहीं ले रही है। वर्ना रिज मैनेजमेंट बोर्ड के माध्यम से उन प्लॉटों, जो आज से 40-50 साल पहले सरकार ने एलॉट किए थे, और ग्राम सभा की जमीन को रिज में एलॉट किया जाए और उनको पक्का घोषित किया जाए, ऐसा मेरा आपके माध्यम से दिल्ली के मुख्य मंत्री से निवेदन है।